3/8/17 पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा ~~[illegible]~~ न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 14/9/17 को पेश हो।

चि०
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

14/9/17 पत्रावली पेश हुई। अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त होने से पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 2/11/17 को पेश हो।

चि०
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2/11/17 वकील उभयपक्ष उप०। तहत रिकार्ड अप्राप्त। वकील अपीलार्थी ने रेस्पो० नं० 3 की रजि० ए०डी० तलबाना नोटिस पेश किया। बाद जांच जारी होकर पत्रावली वास्ते रिकार्ड तलब व बहस दर० दिनांक 14/12/17 को पेश हो।

चि०
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

14/12/17 वकील उभयपक्ष। तहत रिकार्ड अप्राप्त। रेस्पो० नं० 3 की रजि० ए०डी० लिफाफा बाद तामिल अदम प्राप्त। वकील अपीलार्थी रेस्पो० नं० 3 का सही पते का रजि० ए०डी० तलबाना नोटिस पेश करें। पेश होने पर तलबी व रिकार्ड तलब कर, बहसदर० पत्रावली दिनांक 4/1/18 को पेश हो।

चि०
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4/1/18 वकील उभयपक्ष उप०। वकील अपीलार्थी श्री भूपेन्द्र सोनी ने प्रकरण में हियायत पैरवी नहीं होना अवगत कराते हुये अपील खारिज किये जाने का कथन किया। वकील रेस्पोंडेन्ट ने अपील खारिज किये जाने की सहमति दी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी स्वयं ही अपील को आगे नहीं चलाना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस अपील को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत न्यायालय विधिवत सूचित हो। पत्रावली बाद वकील दांखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

No Instruction for Appellants
Applicants.

चि०
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर